न्यायालय सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट बाजपुर, जिला उधम सिंह नगर।

दाण्डिक वाद संख्या–836/2022

राज्य बनाम मनमोहन लाल

धारा–14 बाल श्रम(प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम।
थाना–बाजपुर।
मु0अ0संख्या–59/2020

दिनांक–18.04.2024

पत्रावली अभियुक्त की ओर से प्रार्थना पत्र पेश करने पर तलब की गयी। राज्य की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी श्री रविन्द्र चन्द्र उपस्थित है। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नमनदीप सिंह द्वारा जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

2. अभियुक्त की ओर से जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया है कि उक्त मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, किन्तु प्रार्थी उक्त मुकदमें में जुर्म इकबाल करना चाहता है, जिस कारण उक्त मुकदमें की कार्यवाही समाप्त किया जाना आवश्यक है। अंत में प्रार्थी का जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, कम से कम सजा से दण्डित करने की याचना की गयी।

3. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियोजन कथनानुसार कि दिनांक 24.02.2020 को समय 14:15 बजे स्थान मै0 गुरूनानक स्वीट्स एण्ड स्नैक दोराहा थाना बाजपुर, जिला उधम सिंह नगर, में पुलिस द्वारा बाल श्रमिक अजय कश्यप उम्र 13 वर्ष को निरीक्षण के दौरान आपकी दुकान पर कार्य करते/नियोजित पाये जाने का अभियोग है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र के आधार पर, अभियुक्त द्वारा मौखिकतः भी कथन किया गया कि वह प्रस्तत मामले में स्वेच्छा से अपना जुर्म इकबाल करना चाहता है। तदनुसार अभियुक्त के जुर्म इकबालिया बयान अंकित किये गये। अभियुक्त ने उसके विरूद्ध प्रस्तुत मामला सही होना एवं स्वेच्छा से जुर्म इकबाल किया जाना कथित किया गया।

4. अतः मामले के तथ्यों और परिस्थितियों एवं अभियुक्त के जुर्म इकबाल बयान के आधार पर उसके विरूद्ध प्रस्तुत मामले में धारा 14 बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, का अपराध पूर्ण रूपेण साबित है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुना जायेगा।

(सुमन भण्डारी)
सिविल जज/ न्यायिक मजिस्ट्रेट
बाजपुर जिला उधम सिंह नगर।

5. दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुना गया। अभियुक्त के विरूद्व अभियोग, मामले की परिस्थिति, अपराध की प्रकृति एवं उसके द्वारा स्वेच्छया जुर्म इकबाल किये जाने पर उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए अभियुक्त को निम्नलिखित अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त मनमोहन लाल को फौजदारी वाद संख्या–836/2022 में दोषी पाते हुए मु0–**5,000**/–रूपये अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।

मुकदमें से संबंधित बरामदशुदा माल, यदि कोई हो तो अपीलीय अवधि के उपरान्त या अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में नियमानुसार व्ययनित किया जाये। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(सुमन भण्डारी)
सिविल जज/ न्यायिक मजिस्ट्रेट
बाजपुर जिला उधम सिंह नगर।